| | |
|---|---|
| 29/7/20 | पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित हैं। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30/7/20 को पेश हो। |
| 30/7/20 | पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित हैं। उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 4/8/20 को पेश हो। |
| 4/8/20<br>प्र०स<br>21/13<br>2013/00188 | पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित हैं। दोनों अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि बाबत की साबिक खसरा नम्बर 288/5 290/3 एवं चक में स्थित थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि के नवीन खसरा नम्बर 813, 814 कायम हुये। एवं विपक्षी की साबिक ओन 288/6 के नवीन नम्बर 781 दर्ज हुये। प्रार्थी की ओन 812 एवं 814 की उत्तर की ओर ओन 811 को फिट कर दिया जो गलत है। प्रार्थीगण की कारगुजारी वास्तविकता बराबर है। और प्रार्थी द्वारा यहां पर वर्षों पुरानी जोहड़ की बाड़ लगा रखी है जिसे दुरस्त कराई जावे। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। विपक्षीगण को अगर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करावे। प्रार्थीगण के कब्जे में दखलंदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से कराये। |

प्रकरण सं 21/2013· 2013/00188

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बंशीलाल कोराद्द v/s पारस कंवर .

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में तरमीम का स्पष्ट अंकन नहीं किया है। प्रार्थना पत्र गलत पेश किया है। प्रार्थी द्वारा अनुतोष चाहा गया जो आराजी नम्बर वार नहीं है प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तो पाया कि दोनो पक्ष मौके पर काबिज है तरमीम में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना है तो उसका निस्तारण मूल वाद से होगा। मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखना न्याय हित में है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीया के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के आराजी खसरा नम्बर 812, 813, 814, अर्थात प्रार्थी के कब्जे में नाजायज दखल कब्जा न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुन्दरलाल बाम्बोड़ा)

उपखण्ड अधिकारी,

सहायक कलेक्टर उपखण्ड शाहपुरा

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda

Date: 2020.08.22 16:51:43 IST

Reason: SelfAttested

Location: